


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालयी मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 एवं परिशिष्ट 01 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के द्वारा चयनोपरान्त निम्नांकित निजी सहायक का अतिरिक्त निजी सचिव पद (पे मेट्रिक्स एल-12) वर्ष 2020-21 की रिक्तियों पर चयन किया जाता है :-

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम मय पदस्थापन स्थान	वर्ग	जन्म तिथि	चयन तिथि
1	1/08-09	चांदमल बंजारा	अजा	17.11.64	01.04.2020
2	2/09-10	हरिप्रसाद पारीक	सामान्य	01.07.61	01.04.2020

पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।



(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/डीपीसी/अति.निजी सचिव/20-21/16

दिनांक 05/11/20

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है

- 1- संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर ।
- 2- सचिव अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
- 3- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर
- ✓ 4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक
- 6- गार्ड पंजिका


उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के नियम-32 परिशिष्ट-1 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्नांकित निजी सहायक को अतिरिक्त निजी सचिव पद की वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनोपरांत इन्हें अतिरिक्त निजी सचिव पद की वेतन श्रृंखला पे मेट्रिक्स एल-12 में पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

अतिरिक्त निजी सचिव को नव पदस्थापित स्थान पर दिनांक 20.11.2020 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष, संस्था प्रधान इनको अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। यदि कर्मचारी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान उनसे लिखित में पदोन्नति परित्याग का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 20.11.2020 तक पंजिकृत डाक से एवं मेल आई.डी. sogad2019@gmail.com पर भिजवावें एवं परित्याग का इन्द्राज मय वर्ष कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जावे। निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की दशा में स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच विचाराधीन हो तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे, इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानुसार दिनांक 01.6.02 को या उसके पश्चात 02 से अधिक सन्तान नहीं होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण करवायें।

क्र. सं.	वरि. क्रमांक	कर्मचारी का नाम मय पदस्थापन स्थान	वर्ग	जन्म तिथि	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	01/08.09	चांदमल बंजारा संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर	अजा	17.11.64	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2	02/09.10	हरिप्रसाद पारीक अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	सामान्य	01.07.61	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एरा.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक 05.11.2020

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/डीपीसी/अति.निजी सचिव/19-20/17

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है -

- 1- सचिव अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
- 2- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर
- 3- सम्बन्धित कार्मिक
- 4- लेखाधिकारी रोकड अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 5- गार्ड पंजिका


उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर